AOJ(Gen) (SC) (RJS)
25/7/22

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(03)न्याय 2022 जयपुर, दिनांक

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-सृजित 5 पायलट स्टडी विशेष न्यायालय (एन.आई.एक्ट प्रकरण) जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर महानगर-द्वितीय, जोधपुर महानगर, उदयपुर एवं अजमेर अस्थायी रूप से दिनांक 01.09.2022 से 31.08.2023 तक आवश्यक संविदा पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भः-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.07.2022 के द्वारा सृजित 5 पायलट स्टडी विशेष न्यायालय (एन.आई. एक्ट प्रकरण) जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर महानगर-द्वितीय, जोधपुर महानगर, उदयपुर एवं अजमेर अस्थायी रूप से दिनांक 01.09.2022 से 31.08.2023 हेतु निम्नलिखित संविदा पद सृजित करने की निम्नानुसार माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः-

इन न्यायालयों के कार्य संचालन हेतु सेवानिवृत न्यायाधीश एवं सेवानिवृत कोर्ट स्टॉफ जो कि 65 वर्ष से अधिक आयु का न हो, की संविदा सेवाएं लिये जाने की भी सहमति दी जाती है। पीठासीन अधिकारी एवं आवश्यक स्टॉफ की संविदा सेवाएं वर्तमान संचालित न्यायालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध ली जायेगी।

Sr No	Name of Post	No of Post per Court	Honorarium (per month)
	Presiding Officer	01	As per Hon'ble Supreme Court direction "The High Court Concerned should ensure that the presiding officers and court staff for operationalising the special courts can be hired on contractual basis for one year for the duration of pilot study. It is further proposed that they be paid a fixed honorarium in accordance with there standing prior to retirement." अर्थात [illegible] सेवाओं का भुगतान किया जाता है।
	Reader Gr.-III	01	
	Stenographer Gr.-III	01	
	Clrek Gr.-I	01	
	Clerk Gr.-II	02	
	System Asstt.	01	
	Class IV	03	
	कुल	10	

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये प्रति न्यायालय निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है-

क.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5	पीठासीन अधिकारी के कक्ष हेतु 1 ए.सी.	0.45
	योग	**6.02**

उक्त पायलट स्टडी विशेष न्यायालय (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालयों का संचालन उपलब्ध राजकीय भवन में कराया जाना सुनिश्चित करावें। यदि राजकीय भवन उपलब्ध नहीं हो तो किराये पर भवन लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102204096 दिनांक 18.07.2022 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक:G/I/A-4(i)(a)111/2022 / 883 दिनांक: 05/08/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम, जयपुर महानगर –द्वितीय, जोधपुर महानगर, उदयपुर एवं अजमेर को सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा सेवाएं लिये जाने की कार्यवाही के संबंध में।
2. विशेष न्यायालय (एन.आई.एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर–प्रथम, जयपुर महानगर–द्वितीय, जोधपुर महानगर, उदयपुर एवं अजमेर।
3. A.A.O. (बजट), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. OSD (Computer) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को Website पर Upload करने बाबत।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)